(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 16 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 141

बउनवान

श्री हरनाम सिंह आजाद निवासी 405 White pearl Appt., Modi Nager, Ajmer Road, Jaipur- 302019 मो. नं. 8209842140 एवं 9414280830

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 17.09.2024

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय बारां में दिनांक 12.07.2024 को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 07 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी, जिसमें कुछ बिंदु लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार किशनगंज एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख कलैक्ट्रेट बारां से संबंधित थे जो निम्नानुसार है :–

1. मेरे आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2024 के क्रम में जिला कलक्टर कार्यालय, बारां द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी की प्रमाणित प्रति।
2. उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर कार्यालय, बारां द्वारा संबंधित तहसीलदार, किशनगंज को जारी किए गए निर्देश / चाही गई रिपोर्ट / प्रगति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां।
3. राजस्व मंडल, अजमेर के पत्र क्रमांक 6561 दिनांक 11.10.2022 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
4. तहसील किशनगंज जिला बारां के ऑनलाइन करने हेतु जिस फर्म को कार्य आदेश जारी किया गया है।
5. जिला कलक्टर, बारां के पत्र क्रमांक 5714 दि. 27.10.2022 एवं क्रमांक 4915 दि. 15.09.2022 जो तहसीलदार, बारां को प्रेषित की गई है, की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।
6. तहसील किशनगंज, जिला बारां के 21 ग्रामों के डिजीटाईजेशन की वर्तमान में स्थिति रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध करावें।
7. तहसील, किशनगंज में कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) किशनगंज, जिला बारां के आदेश क्रमांकः भू.अभि. / डी.आईएलआरएमपी / 2022 / दिनांक 01.11.2022 के तहत 21 ग्रामों में ग्रामवार नामांतरण हेतु प्राप्त प्रकरणों की (दिनांक 01.11.2022 से आज तक) सूची (संधारित पंजिका की सूची) भी प्रमाणित कर प्रेषित करने का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें एवं अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.08.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज द्वारा गलत सूचनायें अपीलार्थी को प्रेषित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:53:32 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 22.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज को जरिये सम्मन क्रमांक 1104–1105 दिनांक 23.08.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1104–1105 दिनांक 23.08.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अभि./2024/7258 दिनांक 05.09.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं प्रभारी अधिकारी, भू.अभिलेख, कलैक्ट्रेट बारां द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ.16(2)(24)(4)/भू.अ./एल.आर.सी./ई–धरती/2024/3570 दिनांक 08.08.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, बारां को भिजवाई गई।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार किशनगंज द्वारा पत्रांक 7558 दिनांक 05.09.2024 से अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना अपीलार्थी को डिस्पेच नं. एल.आर./24/6106 दिनांक 01.08.2024 से प्रेषित की जा चुकी है जिसकी प्रति सूचनार्थ अति. जिला कलक्टर, बारां को डिस्पेच नं. 6107 दिनांक 01.08.2024 से भिजवा दी गई है।

अपीलार्थी के रास्ते से संबंधित सूचना के संबंध में दिनांक 13.06.2024 को रास्ता खुलासा करवा दिया गया है जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी के नामांतरकरण की सूचना के संबंध में माननीय न्यायालय तहसीलदार, किशनगंज में ग्राम लक्ष्मीपुरा का नामांतरकरण(वसीयत) से संबंधित प्रकरण संख्या 156/22 युद्धवीर सिंह बनाम भगतसिंह अंतर्गत धारा 135(2) एल.आर. एक्ट, 1956 में जैरकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.08.2024 नियत है। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित शेष बिंदुओं की सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी, (भू.अभि.) कलैक्ट्रेट बारां के पत्रांक एफ.16(2)(24)(4)/भू.अ./एल.आर.सी./ई–धरती/2024/3570 दिनांक 08.08.2024 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का बिंदुवार निम्नानुसार जवाब लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, बारां को प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है :–

1. बिंदु संख्या 1 की सूचना प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र ऑफलाईन प्रक्रिया से तहसीलदार, किशनगंज को प्रेषित किया गया है।
2. बिंदु संख्या 2 में चाही गई सूचना परिशिष्ट – 1ए में संलग्न है।
3. बिंदु संख्या 3 में चाही गई सूचना राजस्व मंडल के पत्रांक 6561/11.10.2022 परिशिष्ट 2 में संलग्न हैं
4. बिंदु संख्या 4 में चाही गई सूचना परिशिष्ट – 3 में संलग्न है।
5. बिंदु सं. 5 में चाही गई सूचना परिशिष्ट इस कार्यालय के पत्रांक 5714/27.10.2022 एवं 4915/15.09.2022 परिशिष्ट 4 एवं 5 में संलग्न है
6. बिंदु संख्या 6 सूचना निम्न प्रकार है किशनगंज में ऑनलाईन से शेष 21 ग्रामों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:– वर्तमान में फर्म द्वारा 21 ग्रामों के वन टू वन का कार्य जारी है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 03 ग्रामों का वन टू वन कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 03 ग्रामों का कार्य प्रक्रियाधीन है। फर्म द्वारा 15 ग्रामों के बेमेल खसरा की सूची उपलब्ध करवाई गई थी जिसे तहसीलदार, किशनगंज द्वारा मिलान करवाकर शीघ्र फर्म को भिजवा दिया जायेगा जिसके पश्चात् उक्त 15 ग्रामों के वन टू वन कार्य फर्म द्वारा पूर्ण किया जावेगा।
7. बिंदु संख्या 7 में चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:53:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, (भू.अभि.) कलैक्ट्रेट बारां के पत्रांक एफ.16(2)(24)(4)/भू.अ./एल.आर.सी./ई–धरती/2024/3570 दिनांक 08.08.2024 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाए जाने हेतु सूचना लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, बारां को भिजवाई गई है। उक्त सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाए जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, बारां द्वारा पत्र क्रमांकः एफ–7/न्याय/आरटीआई/2024/5821 दिनांक 16.08.2024 से अपीलार्थी को सूचित किया गया कि आप ए/4 साईज के कुल 09 पेजों के 02 रूपये प्रति पेज की दर से कुल 18 रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाए जाकर उपलब्ध दस्तावेजों की सूचना प्राप्त कर सकते है। प्रकरण में आदिनांक तक अपीलार्थी द्वारा 18 रूपये के पोस्टल ऑर्डर इस कार्यालय में जमा नहीं करवाए गये है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **17.09.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:53:32 IST
Reason: SelfAttested